(28)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 316/18

सरकार

बनाम श्री:- [handwritten name] S/o राम चरण

जाति कोली ग्रा. बलीन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27-2-18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री ---[handwritten name]--- पुत्र श्री---राम चरण---जाति ---कोली--- निवासी बलीन--- तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम बलीन---की राजकीय आराजी खसरा नं. 331/1 --- रकबा 4.98---किस्म---[illegible]---भूमि से 0.02---रकबा पर अनाधिकृत रूप से---[illegible]--- कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.88---का 50---गुना 44/ राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेखे भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर माँग के पेज नं. 27 पर
वर्ष 2017-18 ... पै0 ....
की राशि 4454
की जमा ...
दिनांक : 5/3/18

राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा